भारत सरकार **Government of India**
रेल मंत्रालय **Ministry of Railways**
रेलवे बोर्ड **(Railway Board)**

RBA No. 33/2021

No.2021/ACII/9/2/e

New Delhi, dated:15.06.2021

PFAs
All Zonal Railways and PUs.

Sub: Authorization of Private Sector banks for extending Government business including Government agency business- Accreditation of HDFC Bank, ICICI Bank & AXIS Bank for handling the transactions pertaining to e-freight system reg.

Attention is invited to Board's letter no. 2006/ACII/9/1/Pt.II dated 28.06.2012 (RBA No. 22/2012) vide which approval of CGA was communicated for accreditation of HDFC Bank, ICICI Bank & AXIS Bank for handling the transactions pertaining to e-freight system for all Zonal Railways. Subsequently, instructions regarding embargo imposed on Private Sector Banks for fresh /additional government agency business vide CGA's letter No.S-11012/1(12)/Pvt. Banks/CGA/2012/RBD/2235 dated 26.11.2012 were circulated vide Board's letter No.2006/ACII/9/1/Pt.II dated 07.12.2012.

Now,vide CGA's letter no. R-23001/1/2021-GBA-CGA/243-292 dated 24.03.2021 circulated under letter of even no. dated 17.05.2021 (RBA No.30/2021), the said ban has been lifted by Ministry of Finance. The instructions also envisage that with lifting of the ban, accredited Private Sector Banks can handle the authorised government business without any fresh approval from office of CGA and RBI. However, for additional business, CGA & RBI's approval is required.

Accordingly, these Private Sector Banks viz., HDFC Bank, ICICI Bank & AXIS Bank can be considered for e-freight business on Railways.

(Sanjeev Sharma)
OSD/Accounts
Railway Board

Copy to

1. Head - Strategic Relations, Government& Institutional Banking Group, ICICI Bank Ltd., ICICIBank Tower, NBCC Place, BhishmaPitamaha Marg, Pragati Vihar, New Delhi-110003.
2. HDFC Bank Ltd. Financial Institutions, PSUs &Government Business Group, B-6/3, Safdarjung Enclave, DDA Commercial Complex, Opp. Deer Park, New Delhi-110029.
3. Senior Vice President & Group Head, Govt. Coverage Group, AXIS Bank,Ground Floor, G-Wing , NBO Building , Maulana Azad road , Nirman Bhawan, Delhi-110011.

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

आरबीए सं.33/2021

सं.2021/एसी-II/9/2/ई

नई दिल्ली, दिनांक: 15.06.2021

प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।

विषय: सरकारी एजेंसी कारोबार सहित सरकारी कामकाज देने के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों को प्राधिकृत करना - ई-फ्रेट सिस्टम से संबंधित लेन-देन सम्हालने के लिए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक को मान्यता प्रदान करना।

आपका ध्यान बोर्ड के दिनांक 28.06.2012 (आरबीए सं.22/2012) के पत्र सं.2006/एसीII/9/1/पार्ट-II की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके तहत सभी क्षेत्रीय रेलों के लिए ई-फ्रेट सिस्टम से संबंधित लेन-देन सम्हालने के लिए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक को मान्यता प्रदान करने हेतु महालेखा नियंत्रक का अनुमोदन संसूचित किया गया था। तदुपरांत, महालेखा नियंत्रक के दिनांक 26.11.2012 के पत्र सं.एस-11012/1 (12)/प्राइवेट बैंक/सीजीए/2012/आरबीडी/2235 के तहत नया/अतिरिक्त सरकारी एजेंसी का कारोबार करने के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों पर लगाए गए प्रतिबंध के बारे में अनुदेश जारी किए गए थे, जिन्हें रेलवे बोर्ड के दिनांक 07.12.2012 के पत्र सं.2006/एसीII/9/1/पार्ट-II के तहत परिपत्रित किया गया था।

अब, महालेखा नियंत्रक के दिनांक 24.03.2021 के पत्र सं.आर-23001/2021-जीबीए-सीजीए/243-292 के तहत वित्त मंत्रालय द्वारा उक्त प्रतिबंध हटा लिया गया है, जिसे रेलवे बोर्ड के दिनांक 17.05.2021 (आरबीए सं.30/2021) के समसंख्यक पत्र के तहत परिपत्रित किया गया था। इन अनुदेशों में यह भी उल्लेख है कि प्रतिबंध को हटा लेने से निजी क्षेत्र के मान्यताप्राप्त बैंक महालेखा नियंत्रक के कार्यालय और भारतीय रिजर्व बैंक से किसी नए अनुमोदन के बिना अधिकृत सरकारी कारोबार सम्हाल सकते हैं। बहरहाल, अतिरिक्त कारोबार के लिए महालेखा नियंत्रक और भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन अपेक्षित है।

तदनुसार रेलों पर ई-फ्रेट कारोबार करने के लिए निजी क्षेत्र के इन बैंकों यथा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक पर विचार किया जा सकता है।

(संजीव शर्मा)
विशेष कार्य अधिकारी/लेखा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. अध्यक्ष- सामरिक संबंध, सरकारी एवं संस्थागत बैंकिंग समूह, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक टॉवर, एनबीसीसी प्लेस, भीष्म पितामह मार्ग, प्रगति विहार, नई दिल्ली-110003.
2. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, वित्तीय संस्थान, पीएसयू एवं सरकारी कारोबार समूह, बी-6/3, सफदरजंग एन्कलेव, डीडीए कमर्शियल काम्पलैक्स, डीयर पार्क के सामने, नई दिल्ली-110029.
3. वरिष्ठ उपाध्यक्ष और समूह अध्यक्ष, गवर्नमेंट कवरेज ग्रुप, एक्सिस बैंक, ग्राउंड फ्लोर, जी-विंग, एनबीओ बिल्डिंग, मौलाना आज़ाद रोड, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011.